05/01/2022	पत्रावली पेश। वकलाय फरीकैन उपस्थित। तहसीलदार रानीवाड़ा की ओर से जवाब अप्राप्त। जवाब हेतु समय दिया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/1/2022 को पेश हो।
11/01/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकलाय फरीकैन व अप्रार्थी संख्या (3) व तहसीलदार रानीवाड़ा उपस्थित। तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसमें प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गेमा पुत्र सवा की जगह रेमा उर्फ रामसिंह पुत्र सवा किये जाने की अनुशंसा की गई। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता व राजपेशकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस, तथ्यों पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में मौजा रामपुरा की जमाबंदी संवत 2075-78 के खाता खातेदारों में प्रार्थी का नाम गेमा अंकित [illegible] है जबकि प्रार्थी का [illegible] दस्तावेजों में रामसिंह पुत्र सवा दर्ज है। ऐसी स्थिति में

PTO

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार रानीवाड़ा की अनुशंषा के आधार पर मौजा रामपुरा (सिलासन) की जमाबंदी संवत 2075-78 के खाता संख्या 205 में खातेदार गेमा पुत्र सवा के स्थान पर रोमा उर्फ रामसिंह पुत्र सवा के नाम की राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती की जाती है। तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु प्रति भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.02.07 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ... जिला-जालोर